प्राचार्य पदोन्नति : रिज्वाइंडर पेश करने मांगा गया समय

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: प्राचार्य पदोन्नति के लिए तय किए गए नियम व मापदंड को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने रिज्वाइंडर पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांगा। अधिवक्ता की मांग को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने समय दे दिया है। अगली सुनवाई के लिए 23 जुलाई का समय तय किया है।

प्राचार्य पदोन्नति के लिए राज्य शासन द्वारा तय किए गए मापदंड को चुनौती देते हुए नारायण प्रकाश तिवारी ने याचिका दायर की थी। सिंगल बेंच में बुधवार को याचिका की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने

● फाइल फोटो

जैसे ही रिज्वाइंडर पेश करने की अनुमति मांगी राज्य शासन की ओर से पैरवी कर रहे महाधिवक्ता कार्यालय के ला अफसरों ने स्थगन आदेश को हटाने की मांग की। महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि प्राचार्य पदोन्नति में इसी तरह की आपत्तियों को लेकर आधा दर्जन शिक्षकों ने याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए शासन द्वारा तय मापदंडों को सही ठहराया है। इसी आधार पर मामले का निराकरण करने की मांग की। कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को रिज्वाइंडर पेश करने की अनुमति दे दी है।

महाधिवक्ता ने नए शिक्षा सत्र का दिया हवाला

जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने नए शिक्षा सत्र का हवाला भी दिया। किंतु राहत नहीं मिली। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने सचिव स्कूल शिक्षा विभाग व संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ से भेंटकर इस विषय मे चर्चा की थी। प्राचार्य के अधिसंख्य पद रिक्त है, शालाओं में शिक्षण सत्र की तैयारियों में प्राचार्य की शीघ्र पदोन्नति जरूरी है।

नौ जून से चल रही सुनवाई

हाई कोर्ट में नौ जून से 17 जून तक लगातार सुनवाई हुई। इसमें याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने तथ्यों के साथ पक्ष रखा था। वहीं अतिरिक्त महाधिवक्ता के साथ साथ इंटरविनर ने भी लाभार्थी व शासकीय पक्ष को मजबूती से रखा था। शिक्षा विभाग ने 30 अप्रैल को प्राचार्य पदोन्नति की सूची जारी की थी, जिसे हाई कोर्ट ने एक मई रोक लगा दी थी।